

जालौर
(जिला कलेक्टर)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(बी.एल.कोठी)
सही/-

जयपुर के समक्ष की जा सकती है।
से अर्पित है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग
अपीलेंट की यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय
की व्यवस्था करे।
80/- रुपये व्यक्तगत तौर पर राजकोष में जमा करवा कर प्राप्ति निश्चयने
समावाधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के बतौर सूचना शुल्क की गोपनी
सूचना अधिकारी की भी निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलेंट की निर्धारित
15 दिवस की समावाधि में निश्चित उपलब्ध करवाए जावे। साथ ही लोक
दिये जाते हैं कि अपीलेंट द्वारा आवेदन सूचना अपीलेंट की निर्णय स्थिति से
अतः अपीलेंट की अपील स्वीकार की जाकर रेप्रीजेंट की निर्देश
निर्धारित समावाधि 30 दिन के पश्चात लिखा जाना पया जाता है।
01.12.2017 को लिखा गया। अपीलेंट की सूचना शुल्क जमा करने हेतु पत्र
प्राप्त होने पर अपीलेंट की निर्धारित शुल्क 80/- रुपये जमा करने हेतु निर्देश
दिये लिखा गया। जो कि तहसील आहौर के कार्यालय में 07.11.2017 को
सूचना अधिकारी द्वारा तहसीलदार आहौर को भेज कर सूचना उपलब्ध कराने
आहौर के कार्यालय में दिनांक 01.11.2017 को प्राप्त होने पर राज्य लोक
अधिनियम 6(1) का आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी
संलग्न आवेदन पत्र द्वारा सूचना जारी गई। अपीलेंट की सूचना का अधिकार
अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पीटल आर्डर संख्या 35 एफ 862882 के
प्रावधानों का अवलोकन किया गया। अपीलेंट द्वारा अपील में सूचना के
शुल्क जमा करवा कर सूचना प्राप्त कर सकता है।
को लिखा गया परंतु सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया है। अपीलेंट निर्धारित
द्वारा अपीलेंट की आवेदन सूचना शुल्क जमा करने हेतु निर्देश 01.12.2017
किया गया कि अपीलेंट द्वारा आवेदन सूचना तैयार है और तहसील कार्यालय
उपखंड अधिकारी आहौर व तहसीलदार आहौर द्वारा जवाब में व्यक्त
जावे।
आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः आवेदन सूचना निश्चित दिनांक
अपीलेंट द्वारा उपस्थित होकर व्यक्त किया गया कि आवेदन सूचना
जवाब हुआ।
तहसीलदार आहौर अर्पित। उपखंड अधिकारी व तहसीलदार आहौर का
अपीलेंट उपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी आहौर व

20.12.2017

मिशनल वनाम उपखंड अधिकारी/तहसीलदार आहौर प्रकरण
संख्या 50/2017